

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
हाथरस।

सेवा में,

प्रबन्धक

सीमेन्ट्रल इंटर्नशनल स्कूल,  
एच. ९३, महादुर्ग पौर समिति - नामनी,  
जनपद-हाथरस।

पत्रांक : ७१९९-७२०१

दिनांक : ०७/४/१३

विषय-निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन (अंग्रेजी माध्यम) की नवीन अस्थाई मान्यता प्रमाण-पत्र।

महादेय/महोदया,

आपके तारीख २०-७-२०१२ के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से, मैं सीमेन्ट्रल इंटर्नशनल स्कूल,  
एच. ९३, महादुर्ग पौर (नामनी) का तारीख  
से तारीख ..... तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा .

४! ..... से कक्षा ..... तक के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।  
उपरोक्त मंजूरी निम्नालिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यधीन है:-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात् मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपावंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपावंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में), उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर चारों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खोता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।

Principal  
Seemar International School  
Sastri (Mathras)

See Cont... Page (02)

Seemar  
Manager

12. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड अकाउंटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
13. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और सुनिश्चित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के लिए पत्र अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधों शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करेंगे या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।
14. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, तो सुनिश्चित किया जाए।
15. संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।
16. विद्यालय में अनियमितता पाये जाने पर विभागीय निर्देशों/आदेशों का पालन न करने पर प्रदल्ल मान्यता का किसी भी समय प्रत्याहरण किया जा सकता है।

(देवेन्द्र गुप्ता)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
हाथरस।

पृ.सं./

/2013-14/

दिनांक उक्तवत्।

- प्रतिलिपि- निमांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. खण्ड शिक्षा अधिकारी, जनपद - हाथरस।
  2. नगर शिक्षा अधिकारी, जनपद - हाथरस।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
हाथरस।

Principal

Seemaa International School  
Musni (Hathras)

Seemaa International School

Seemaa

56